रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2015/फाल्गुन 18, 1936
No. 128] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2015/PHALGUNA 18, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2015

सा.का.नि. 174(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 में खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च). अंशकालिक और गैर-सरकारी सदस्यों से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है।"।

3. मूल नियमों में नियम 6 के उपनियम (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(iii) सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग;।"।

4. मूल नियमों में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"6क. नियम 6 के अधीन नियुक्त अंशकालिक सदस्यों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रबंधन, परिवहन नियोजन या किसी अन्य सुसंगत विषय में ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो गैर-सरकारी व्यवसायी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे ।

6ख. चयन समिति--गैर-सरकारी अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, निम्नलिखित सदस्यों से गठित चयन समिति की सिफारिशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात्, की जाएगी, अर्थात् :--

(i) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - अध्यक्ष, पदेन

(ii) सचिव, पोत परिवहन – सदस्य, पदेन

(iii) सदस्य (वित्त) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण – सदस्य, पदेन

(iv) संयुक्त सचिव (राजमार्ग) – सदस्य, पदेन :

परंतु चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन प्रभारी मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपेक्षित होगा ।"।

5. मूल नियमों में नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"7क.(i) बैठक भत्ता: किसी अंशकालिक सदस्य को उसके द्वारा हाजिर की गई प्राधिकरण की किसी बैठक के लिए 5000/-रु. (पांच हजार रुपये) का भत्ता संदेय होगा:

परंतु किसी अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य को ऐसे भत्ते 50,000/-रु. (पचास हजार रुपये) प्रतिमास से अनधिक होंगे ।

(ii) वाहन भत्ता: 1000/-रु. (एक हजार रुपये) या उसके द्वारा उपगत वास्तविक व्यय, जो भी कम हो:

परंतु वहां किसी गैर-सरकारी सदसय को ऐसे सदसय के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निवास के सामान्य स्थान से बाहर जाने को कहा जाता है, वहां वह यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास के लिए उन्हीं दरों पर पात्र होगा, जो प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य को लागू हैं :

परंतु यह और कि ऐसे अंशकालिक सदस्य द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं उन्हीं उपबंधों द्वारा विनियमित होंगी, जो प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य को लागू है ।

(iii) पद और गोपनीयता की शपथ—अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य, अपना पदभार संभालने से पूर्व, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा ऐसी पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ उसी रूप में दिलाई जाएगी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों को दिलाई जाती है ।

(iv) अवशिष्ट मामले – किसी भत्ते के संबंध में, अंशकालिक सदस्यों से संबंधित अवशिष्ट मामले, जिसके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12025/36/2014-ई-II (बी)]

रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 जून, 2003 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 665(अ), तारीख 17 सितंबर, 2014 को संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2015

G.S.R. 174(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2 after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) Part-time Non-Government Members means a member appointed by Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Act.".

3. In the principal rules, in rule 6, for sub-rule (iii), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(iii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs;.".

4. In the principal rules, after rule 6 the following rules shall be inserted, namely:--

"6A. In addition to the official part-time members appointed under rule 6, two non-Government professionals having knowledge or experience of financial management, transportation planning or any other relevant discipline shall be appointed as part-time members by the Central Government.

6B. Selection Committee.—The appointment of Non-Government part time members shall be made after obtaining the recommendations of a Selection Committee, consisting of the following members, namely:--

(i) Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Chairman, ex-officio

(ii) Secretary, Ministry of Shipping - Member, ex-officio

(iii) Member (Finance) National Highways Authority of India - Member, ex-officio

(iv) Joint Secretary (Highways) - Member, ex-officio:

Provided that the recommendations made by the Selection Committee shall require the approval of the Minister-in-Charge of the Ministry of Road Transport and Highways.".

5. In the principal rules, after rule 7 the following rule, shall be inserted, namely:-

"7A. (i) Meeting Allowance: An allowance of Rs. 5000 (five thousand rupees) for a meeting of the Authority will be payable to a part-time Non-Government member attended by him or her:

Provided that such allowances to a part-time Non-Government member shall not exceed Rs.50000 (fifty thousands rupees) per month.

(ii) Conveyance allowance: Rs.1000 (one thousand rupees) or the actual expenses incurred by him or her whichever is less:

Provided that where a Non-Government part time member is called upon to go out of the ordinary place of residence for discharging duties as such member, he shall be entitled to Travelling Allowance, Daily Allowance and accommodation at the same rates as applicable to a full-time member of the Authority:

Provided further that official visits abroad by such part-time member shall be governed by the same provisions as are applicable to a full-time member of the Authority.

(iii) Oath of office and secrecy – A part-time Non-Government member shall, before entering upon his office, subscribe to an oath of office and an oath of secrecy and such oath of office and the oath of secrecy shall be administered in the form as per full time members of National Highways Authority of India.

(iv) Residuary matters- Residuary matters relating to part-time members, with respect to an allowance for which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for decision.

[F. No. A-12025/36/2014-E-II (B)]

ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 507(E), dated the 23rd June, 2003 and last amended vide, G.S.R. 665 (E) dated the 17th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.